



2026:AHC:38841

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या-2508/2026

दिनेश कुमार गुप्ता

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: अखिल यादव, नरेंद्र कुमार, रवींद्र बहादुर सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेंद्र कुमार सिंह तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता को 28.03.2008 को सीचपाल के पद पर नियुक्त किया गया था, तथापि अपेक्षित अवधि पूरी होने के बाद, वह सिंचाई अधिकारी के पद पर पदोन्नति के हकदार हैं।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर सबसे पहले तीसरे प्रतिवादी, कार्यकारी अभियंता, देवोकी पंप कैनाल खंड-इस्ट, गाजीपुर द्वारा निर्णय की आवश्यकता है।
4. न्यायालय में इस प्रकार प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है, जिसमें रिट याचिकाकर्ता को एक व्यापक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है, रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आज पारित आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, तीसरे प्रतिवादी, कार्यकारी अभियंता, देवोकी पंप नहर खंड-इस्ट, गाजीपुर के समक्ष, जो तीन महीने की अवधि के भीतर उपयुक्तता, पात्रता और वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।
5. यदि तीसरे प्रतिवादी की राय है कि मामले का प्राधिकरण द्वारा निवारण किया जाना आवश्यक है, तो पत्र उक्त प्राधिकरण को प्रेषित किया जाएगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026

प्रशांत डी.

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”